जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/vg/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 29 मई 2021

राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से राजस्थान की जनता का सवाल??

भाग-2

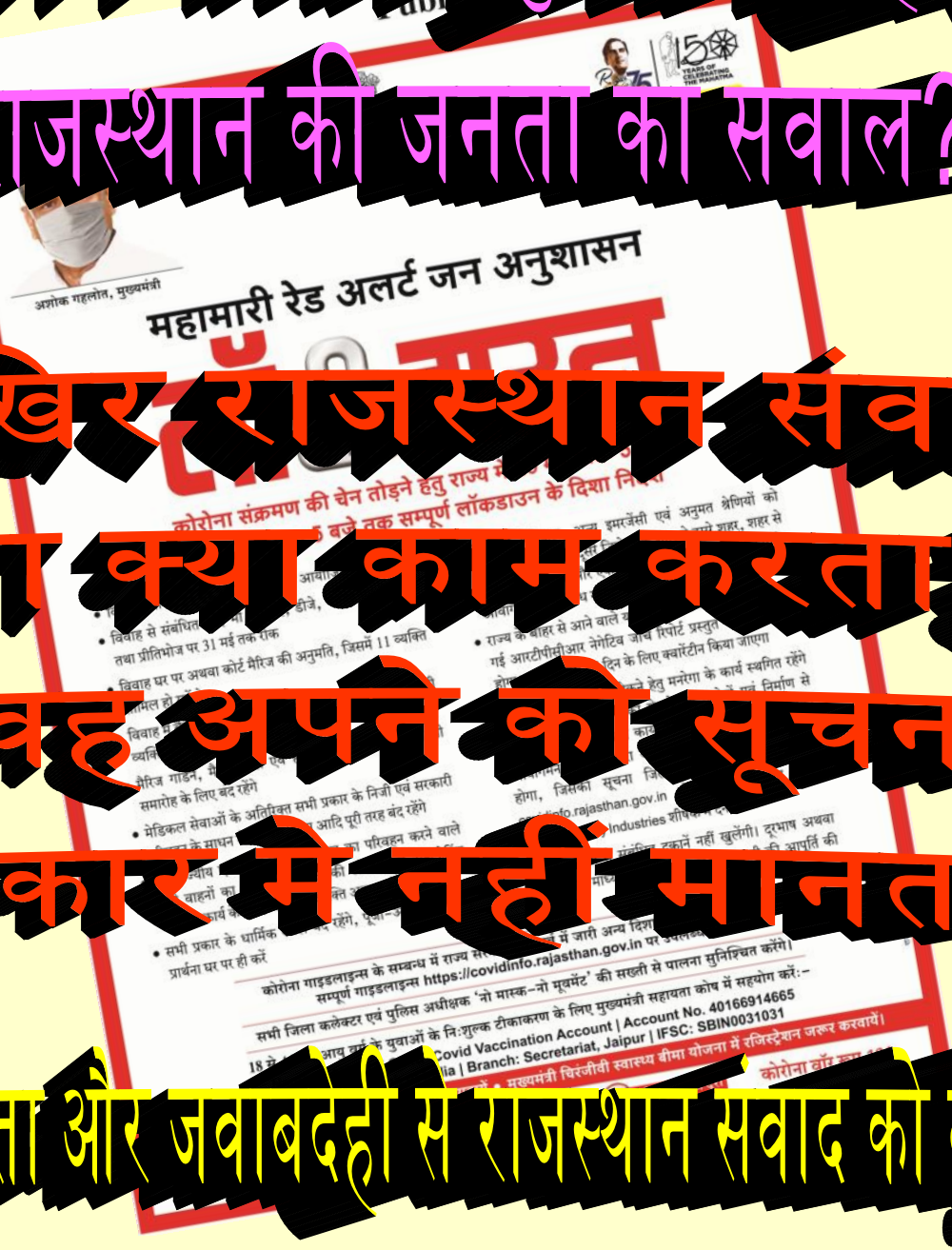

आखिर राजस्थान संवाद ऐसा क्या काम करता है, जो वह अपने को सूचना के अधिकार मे नहीं मानता??

पारदर्शिता और जवाबदेही से राजस्थान संवाद को बैर क्यूँ??

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

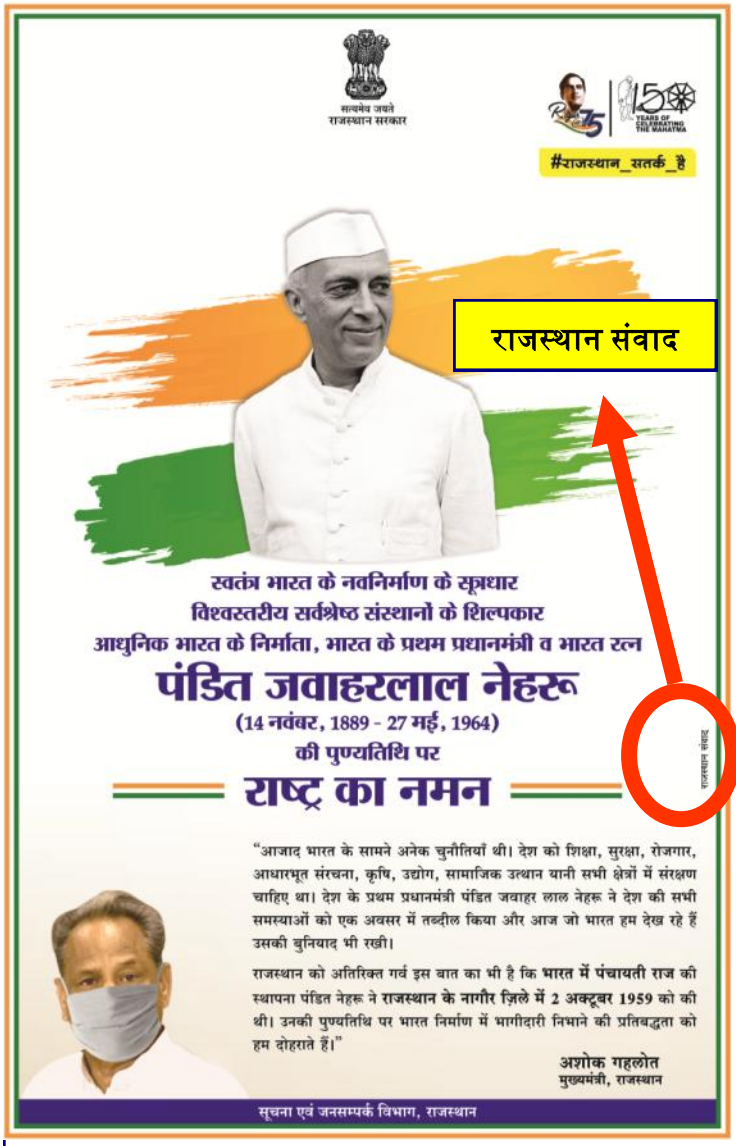

आखिर क्या है राजस्थान संवाद?सरकारी या प्राईवेट?

आप और हम जब भी सुबह उठते ही कोई अखबार खोलते है,तो हमे हर दूसरे तीसरे दिन एक सरकारी विज्ञापन देखने को मिल जाता है,अधिकांश विज्ञापनों के कोने मे छोटे छोटे अक्षरों मे दो शब्द लिखे होते है गौर से पढ़ने पर आप को यह राजस्थान संवाद लिखा हुआ दिख जाएगा|इसे देखकर आपके मन मे सवाल आते होंगे कि आखिर क्या है यह राजस्थान संवाद और क्यूँ लिखा जाता है इसे हर विज्ञापन पर?आपको बताना चाहूँगा कि यह है राजस्थान संवाद जिसके खाते मे वर्ष 2017 तक सरकारी विज्ञापनों को दिये जाने वाले भुगतान के 15 प्रतिशत कमीशन के रूप मे 31 करोड़ रुपए थे और जब आप राजस्थान संवाद के कर्ता धर्ताओं से इन पैसों का हिसाब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगेंगे तो यह आपको टका सा जवाब लिखकर दे देंगे कि हम यह हिसाब आप नागरिक को नहीं दे सकते क्यूंकी हम सूचना के अधिकार मे नहीं आते|

जीहां यही सच्चाई है राजस्थान संवाद नाम की इस संस्था की|राजस्थान सरकार के हर विज्ञापन पर नजर आने वाला यह राजस्थान संवाद अपने तुगलकी आदेशों से संविधान का मखौल उडाते हुए,सरेआम अपने आपको सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से खुद को बाहर बताता है|

क्या है पूरा मामला?

जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि विज्ञापनों/विज्ञप्तियों के नाम पर हो रहे घोटालों के संबंध मे पूर्व मे हमारे द्वारा प्रथम भाग प्रकाशित किया था,जिसमे राजस्थान संवाद मे हुए 500 करोड़ के क्रेयोंस घोटाले का भी जिक्र किया गया था,इसी क्रेयोंस घोटाले से संबन्धित नवीन जानकारी के लिए हमारे द्वारा सूचना एवं जन संपर्क विभाग मे सूचना के अधिकार के तहत दो सूचना आवेदन प्रस्तुत किए थे|जिसमे एसीबी मे क्रेयोंस

एडवर्टाइजिंग प्रा.लि. द्वारा किए गए घोटालों,इस घोटाले से जुड़े DIPR/संवाद के अधिकारियों से संबन्धित जानकारी और क्रेयोंस के संचालकों द्वारा बनाई गयी एक अन्य कंपनी से संबन्धित जानकारियों के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक,सूचना एवं जन संपर्क विभाग,राजस्थान सरकार के यहाँ दो आवेदन प्रस्तुत किए थे|जिन्हे अतिरिक्त निदेशक द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत दिनांक 19/05/2021 को प्रबंध निदेशक,राजस्थान संवाद,सूचना एवं जनसम्पर्क परिसर को अंतरित कर दिया|इन दोनों आवेदनों के संबंध मे दिनांक 24/05/21को राजस्थान संवाद के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा यह कह कर सूचना देने से इंकार कर दिया कि राजस्थान संवाद के कार्यालय आदेश संख्या क्रमांक/राज. संवाद/13/1470(अ) दिनांक 29/11/2013 द्वारा राजस्थान संवाद की समिति एवं अध्यक्ष प्रबंध समिति द्वारा राजस्थान संवाद को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के तहत राजस्थान संवाद लोक प्राधिकरण की परिभाषा एवं परिधि से बाहर किया गया है|साथ ही उक्त के संबंध मे माननीय उच्च न्यायालय मे भी प्रकरण विचारधीन है जिसके तहत अभी सूचना दिया जाना संभव नहीं है|

Reg.

सूचना का अधिकार

राजस्थान सरकार
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय

क्रमांक/प्रस्था/ सू.अ./विविध/21/ 28599-600 जयपुर, दिनांक: 19/05/202

प्रबंध निदेशक
राजस्थान संवाद
सूचना एवं जनसम्पर्क परिसर
सचिवालय, जयपुर

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि श्री ज्ञानेश कुमार निवासी जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के तहत दो आवेदन कर सूचना चाही गई है। आवेदनों में चाही गई सूचना इस विभाग से संबंधित ना होकर आपकी संस्था से संबंधित है।

श्री कुमार के आवेदनों को सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित किया जाकर लेख है कि आवेदन में चाही गई सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करा कर इस विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 52F 341389 रूपये 10/– तथा 52F 341388 रूपये 10/– विभाग के का राजकोष में जमा कर लिया गया है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि:–

1. श्री ज्ञानेश कुमार, जवाब दो सरकार, एस–1, सैकंड फ्लोर, झारखंड अपार्टमेंट, संगत सिंह रोड़, जनरल संगत सिंह मार्ग, खातीपुरा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान संवाद से संबंधित जानकारी प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जनसम्पर्क परिसर, सचिवालय, जयपुर से पत्र व्यवहार कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

राज्य लोक सूचना अधिकारी

RTI Cell
Dept. Name:- DIPR, Secretariat Campus, C-Scheme, jaipur
Website :- www.dipr.rajasthan.gov.in
Ph. 0141-2227659, 2227237
Mail Id:- estt.dipr@rajasthan.gov.in

सरकार के आदेशों के बावजूद डीआईपीआर के अधिकारी सरकारी दस्तावेजों पर अपना नाम,पदनाम नहीं लिख रहे है|सवाल यह है कि यह ऐसा जानबूझ कर करते है या फिर भूलवश?

राजस्थान संवाद
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग परिसर
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक :– राज.संवाद/06/2021/24-25 जयपुर दिनांक 24/5/21

श्री ज्ञानेश कुमार,
जवाब दो सरकार, एस–1,
सैकंड फ्लोर, झारखंड अपार्टमेंट,
संगत सिंह रोड़,
जनरल संगत सिंह मार्ग,
खातीपुरा, जयपुर

विषयः– सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से प्राप्त हुआ है।

राजस्थान संवाद के कार्यालय आदेश संख्या क्रमांक/राज.संवाद/13/1470 (अ) दिनांक 29.11.2013 *द्वारा राजस्थान संवाद की समिति एवं अध्यक्ष प्रबंध समिति द्वारा राजस्थान संवाद को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के तहत राजस्थान संवाद को लोक प्राधिकरण की परिभाषा एवं परिधि से बाहर किया गया है। (ओदश की प्रति संलग्न)*

साथ ही उक्त के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है जिसके तहत अभी सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

बेनाम वरिष्ठ प्रबन्धक

वरिष्ठ प्रबंधक
राजस्थान संवाद

प्रतिलिपिः– श्री राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक 28599–600 दिनांक 19.05.2021 के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ प्रबंधक
राजस्थान संवाद

Copy of Order Dated 03/10/16

1

37483

23/11/15

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN

AT JAIPUR BENCH JAIPUR

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 17511/2015

Rajasthan Samwad Represented through Managing Director, Rajasthan Samwad, Secretariat Building, Near Directorate of Information and Public Relations.

....Petitioners

Versus

1. Shri Chandra Mohan Marothia Son of Shri Veer Sen, Resident of Shilp Colony, Khatipura Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan.

2. State Information Commission Represented through Secretary, State Information Commission, O.T.S. Circle, Jhalana Link Road, J.L.N. Marg, Jaipur.

....Respondent

S.B. CIVIL WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE CONSTITUTION OF INDIA;

AND

(3)

1

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JAIPUR BENCH, JAIPUR

ORDER

S.B. Civil Writ Petition No. 17511/2015

Rajasthan Samwad Vs. Shri Chandra Mohan Marothia & Anr.

Date of Order:- 03.10.2016

HON'BLE MR. JUSTICE KANWALJIT SINGH AHLUWALIA

Mr. Prateek Mathur, for the petitioner.

Requires consideration.

Admitted.

Sd/-

(KANWALJIT SINGH AHLUWALIA)J.

Jailendra/Ashwani/-
20

क्या यह स्टे की कॉपी है?

राजस्थान संवाद
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग परिसर
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक/राज. संवाद /13/1470(37)

दिनांक 29.11.13

कार्यालय आदेश

राजस्थान संवाद एक स्वायत्तशासी एवं स्ववित्तपोषित संस्था है जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई वित्तीय बजट सहायता उपलब्ध नही कराई जाती है, ना ही विधान सभा में बजट पारित होता है।

राजस्थान संवाद में नियमित सामान्य नियुक्तियों के कोई प्रावधान नही है। (ऑपरेशनल मैनुअल अध्याय 2, बिन्दु संख्या 2.4) राजस्थान संवाद के अधिकतम अधिकारी पदेन आधार पर कार्य कर रहे है। राजस्थान संवाद में कर्मचारी एजेंसी के माध्यम से संविदा पर कार्यरत हैं, जो कि लोक सेवक नही है।

राजस्थान संवाद के विधान अनुसार राजस्थान संवाद के नियमों व वेतनमान आदि की प्रक्रिया सरकारी तौर तरीको से हटकर रखी जायेगी। अतः राजस्थान संवाद स्वयं के ऑपरेशनल मैनुअल के आधार पर कार्य करता है। यहां राज्य सरकार के नियम लागू नही होते।

माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय केन्द्रिय सूचना आयोग, दिल्ली ने भी अपने विनिश्चय में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि यदि किसी संस्था को राज्य सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय मदद परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्राप्त नहीं होती है तो ऐसी संस्था को सूचना का अधिकार अधिनियम, 05 की धारा 2 (स) के तहत लोक प्राधिकरण नहीं माना जा सकता।

अतः दिनांक 12.11.2013 को राजस्थान संवाद की समिति एवं अध्यक्ष, प्रबंध समिति द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों एवं केन्द्रीय सूचना आयोग, दिल्ली के विनिश्चयों के क्रम एवं विधिक राय के अंतर्गत राजस्थान संवाद की कार्य प्रणाली, उत्पत्ति एवं स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के तहत राजस्थान संवाद को लोक प्राधिकरण की परिभाषा एवं परिधि से बाहर किया गया है। पूर्व में भी राजस्थान संवाद राज्य सरकार के लोक प्राधिकरण की सूची में सम्मिलित नही था अतः क्रमांक प्रस्था/विविध/सू.अ./05/10810–34 दिनांक 14.06.2011 के आदेश दिनांक 12.11.2013 से निरस्त माने जाते है।

वरिष्ठ प्रबंधक

प्रतिलिपि :–

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
2. राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित है।

वरिष्ठ प्रबंधक

राजस्थान संवाद द्वारा जारी किया गया वह तुगलकी आदेश जिससे वह अपने आपको संविधान से ऊपर मानते हुए,सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से बाहर मानता है|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर क्या है यह राजस्थान संवाद?
2. क्या वाकई यह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत लोक प्राधिकरण की श्रेणी मे नहीं आता है?
3. क्या वाकई राजस्थान संवाद एक स्वायत्तशसी एवं स्ववित्तपोषित संस्था है?
4. आखिर क्यूँ राजस्थान संवाद का गठन किया गया?
5. यदि राजस्थान संवाद लोक प्राधिकरण नहीं है तो क्यूँ यह सचिवालय के 6-7 कमरों मे कब्जा किए हुए है?
6. कौन है इस संस्था के वरिष्ठ प्रबन्धक और प्रबंध निदेशक?आखिर किसने उन्हे नियुक्त किया है इस संस्था मे?क्या यह दोनों पदाधिकारी सरकारी है या फिर गैर-सरकारी?कितना वेतन लेते है यह लोग इस संस्था से?

7. क्या वाकई राजस्थान संवाद मे राज्य सरकार के नियम लागू नहीं होते?
8. कौन है राजस्थान संवाद की प्रबंध समिति का अध्यक्ष?राज्य का मुख्यमंत्री या सूचना एवं जन संपर्क विभाग का मंत्री?
9. राजस्थान संवाद के कार्यालय आदेश संख्या क्रमांक/राज. संवाद/13/1470(अ) दिनांक 29/11/2013 मे बताए अनुसार दिनांक 12/11/2013 को अध्यक्ष प्रबंध समिति,राजस्थान संवाद के समक्ष ऐसे क्या दस्तावेज़ पेश किए गए जो उन्होने राजस्थान संवाद को सूचना के अधिकार से बाहर होने की घोषणा कर दी?
10. राजस्थान संवाद के कार्यालय आदेश संख्या क्रमांक/राज. संवाद/13/1470(अ) दिनांक 29/11/2013 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय,माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के कौनसे निर्णय है जिनमे ऐसी संस्थाओं को लोक प्राधिकरण नहीं माना है?
11. अपने पत्र दिनांक 24/05/2021 मे राजस्थान संवाद के वरिष्ठ प्रबन्धक उक्त मामला उच्च न्यायालय मे विचारधीन बता रहे है,क्या है यह मामला,जो उच्च न्यायालय मे विचारधीन है?क्या इस मामले मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान संवाद के पक्ष मे कोई स्टे पारित किया है,जिसके चलते वरिष्ठ प्रबन्धक राजस्थान संवाद सूचना नहीं दे रहे है?क्या कोर्ट ने यह स्टे दिया है कि अग्रीम आदेशों तक राजस्थान संवाद सूचना के अधिकार मे नहीं आएगा?
12. आखिर क्यूँ राजस्थान संवाद के कर्ता धर्ताओ ने राजस्थान संवाद को सूचना के अधिकार से बाहर रखने के लिए कोर्ट मे वकीलों की फौज खड़ी कर दी है?
13. आखिर राजस्थान सूचना आयोग ने ऐसा क्या निर्णय दिया जिसके विरुद्ध राजस्थान संवाद को उच्च न्यायालय जाना पड़ा?
14. आखिर पत्र क्रमांक प्रस्था/विविध/सू.अ./05/10810-34 दिनांक 14/06/2011 मे ऐसा क्या था जिसे दिनांक 12/11/2013 से निरस्त माना गया?

इन सभी सवालों के जवाब और राजस्थान संवाद की पोल अगले भागों मे...